



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 584/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 14.07.2025

निर्णय पारित किया गया : 11.09.2025

1- बसंत यादव, पिता बेचू राम यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, व्यवसाय-कृषक, निवासी ग्राम संवरवा, थाना-ओडगी, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

2- दशरथ, पिता जग्गू, उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम संवरवा, कोटारीडांड, थाना-ओडगी, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना-ओडगी, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :	श्री सुधीर कुमार बाजपेयी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य हेतु	श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

रजनी दुबे, न्यायाधीश के अनुसार

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह अपील अपीलकर्ताओं द्वारा सूर्यपुर, जिला-सूरजपुर के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 39/2018 में दिनांक 14.03.2019 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा



2,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंड पारित किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण, यह है कि मृतक इंद्रमणि यादव आरोपी बसंत यादव की पत्नी थीं। 11.02.2018 की रात को मृतक इंद्रमणि यादव ने दुकान का शटर बंद करके अकेले सो गईं। अगले दिन सुबह जब मृतक की बहू गीता यादव उन्हें चाय देने गईं तो उन्होंने देखा कि दुकान का शटर खुला हुआ था। जब वह दुकान के अंदर गईं तो उन्होंने इंद्रमणि को पलंग पर मृत पाई गईं। इस घटना की सूचना पुलिस थाना में दर्ज कराई गई। प्रकरण का अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्वेषण के दौरान, मृतक के पति, अर्थात् आरोपी बसंत यादव को पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी इंद्रमणि का गला अपने दुपट्टे (गमछा) से घोटकर हत्या की थी। आरोपी बसंत यादव का बयान दर्ज किया गया था। अभियुक्त बसंत यादव का गमछा साक्षियों के सामने जब्त किया गया था। अन्वेषण के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था। साक्षियों के बयान दर्ज किया गया था। सामान्य अन्वेषण पूरी होने के पश्चात्, आरोपपत्र दाखिल किया गया। सूरजपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को सुनवाई के लिए सौंप दिया, क्योंकि यह माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसके बाद, माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ने प्रकरण को उचित निराकरण के लिए विचारण न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आरोप निर्धारित किया गया, जिस पर अपीलकर्ताओं ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग का दावा किया गया।

3. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों की परीक्षा की। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण में उनके विरुद्ध मौजूद सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और झूठे फँसाए जाने की बात कही। हालांकि, उन्होंने अपने बचाव में कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया।

4. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, दिनांक 14.03.2019 के अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए, अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया। अतः, यह अपील दायर की गई है।

5. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों पर विचार नहीं किया, क्योंकि इस प्रकरण में परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी है।



अभियोजन पक्ष का प्रकरण संदेहों और आशंकाओं से भरा है और अपीलकर्ताओं को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ताओं पर सह-आरोपियों के ज्ञापन बयान के आधार पर आरोप लगाए गए हैं और वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी दोष सिद्ध करने वाला सबूत नहीं है। माननीय विचारण न्यायालय ने असंबद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को ध्यान में न रखकर अपने निष्कर्षों में गलती की है, क्योंकि इस अपराध में उद्देश्य पूरी तरह से गायब है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध का गठन नहीं करते हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष की कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और दोषसिद्धि मान्य योग्य नहीं है। माननीय विचारण न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और विवेक के नियम के विपरीत है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उनके बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी थे। माननीय विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया तथा साक्षियों के कथन और कल्पना की किसी भी सीमा को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप को नहीं समझता है। यदि अभियोजन पक्ष के प्रकरण को भी यथावत मान लिया जाए, तब भी वर्तमान अपीलकर्ताओं का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के दायरे और तत्वों के अंतर्गत नहीं आएगा। विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और निर्णय संक्षिप्त है, जिसमें कारण नहीं बताया गया है, क्योंकि उपरोक्त अपराध में वर्तमान अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर, सोच-समझकर और योजना बनाकर अपीलकर्ताओं को बलि का बकरा बनाया है, जबकि घटना अनुमानों पर आधारित है, ज़बती संदिग्ध है और पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (2) के तहत अपेक्षित कोई उचित और ठोस कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, हालांकि यह अनुमान कितना भी ठोस क्यों न हो, यह विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कुछ धारणाओं के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रही कि इस प्रकार के प्रकरण हमारी दुनिया में बहुत आम हैं और ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का निर्णय करते समय बहुत सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल विरोधाभासी और बाद में दिए गए बयान के आधार पर झूठा फंसाया न जा सके। विचारण न्यायालय साक्ष्यों का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने उन साक्ष्यों को त्रुटिपूर्ण तरीके से स्वीकार कर लिया जो बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं हैं। अतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

चंदू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एमएनयू/एससी/0443/1992) और रत्नू यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (एमएनयू/एससी/0581/2024) के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य के अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित आकलन किया और तदनुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। अतः, आक्षेपित निर्णय उचित है और इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में इस न्यायालय के दिनांक 16.02.2017 के आदेश पर भरोसा किया गया है,



जो **दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 87/2017** {नीलकंठ यादव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य} में पारित किया गया था। इस प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय भी शामिल है, जो राममिलन बुनकर के मामले में दिया गया था; एम. ए. एन. यू./यू. पी./2437/2024 और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 10.07.2024 को पारित निर्णय भी शामिल है, जो **दाण्डिक अपील संख्या 204/2018** में **राजकुमार सोनकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरण में दिया गया था।**

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत आरोप निर्धारित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों से परीक्षा की और प्रदर्श पृष्ठ 1 से 14 तक के दस्तावेज प्रदर्शित किए।

9. विचारण न्यायालय के समक्ष यह निर्विवाद है कि मृतक इंद्रमणि यादव, आरोपी बसंत यादव की पत्नी थीं और उनकी मृत्यु 12.02.2018 और 13.02.2018 की मध्यरात्रि में हुई थी।

10. पहला प्रश्न, हमें यह विचार करना होगा कि क्या मृतक इंद्रमणि की मृत्यु हत्या थी या नहीं?

11. अपीलकर्ता बसंत यादव के भाई गोपाल (पी डब्लू -4) ने बताया कि शोर सुनकर वह सुबह आरोपी बसंत के घर गया। मृतक इंद्रमणि पलंग पर मृत पड़ी थी। उसने मृतक का शव देखा, उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। वह ओडगी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। पुलिस द्वारा शवगृह सूचना (एक्स पी/3) दर्ज की गई, जिसमें उसने 'ए से ए' भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की।

12. सहायक सब-इंस्पेक्टर क्लेमेंट टिकी (पी डब्लू-14) ने बताया कि उसने गोपाल यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शवगृह सूचना संख्या 05/2018 (एक्स पी/3) दर्ज की और उस पर 'बी' से 'बी' भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के दौरान, वह घटनास्थल पर गया और मृतक के शव के पंचनामा की कार्यवाही पूरी की, जिसके लिए साक्षियों को नोटिस (एक्स पी/4) जारी किया गया था और उस पर 'बी' से 'बी' भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। पंचनामा कार्यवाही पूरी होने के बाद, उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए आवेदन दिया (प्रदर्शनी पृष्ठ 7) और उस पर 'ए' से 'ए' भाग और 'बी' से 'बी' भाग तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

13. डॉ. राकेश सिंह (पी डब्लू-11) ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और उन्हें निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीं: --छाती, बाएँ स्तन, पेट के आगे और किनारों तथा दोनों कूल्हों के ऊपरी भाग पर जले के पुराने निशान थे। बायाँ हाथ जलने के कारण सिकुड़ा हुआ था। जीभ मुँह से बाहर निकली हुई थी। आँखें बंद थीं। चेहरा लाल था। गर्दन के बाएँ भाग पर रस्सी के दो निशान थे। गर्दन के ऊपरी बाएँ भाग पर मौजूद लिगेचर का निशान 8 x 2 सेमी था और नीचे मौजूद लिगेचर का निशान 12 x 2 सेमी था। ये दोनों लिगेचर के निशान गर्दन



के बाएँ भाग में थायरॉइड उपास्थि के ऊपर थे और गर्दन की हायोइड हड्डी टूटी हुई थी। पूरे शरीर में अकड़न (रिगर मार्टिस) मौजूद थी। मृतक के शव का शव परीक्षण करने के पश्चात्, चिकित्सक ने राय दी कि मृत्यु का कारण गला घोटने से दम घुटना है तथा मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट पुलिस द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट में बताई गई परिस्थितियों के आधार पर दी गई है।

14. डॉ. राकेश सिंह (पी डब्लू-11) के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ 4) को देखते हुए, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी।

15. अब हमें यह विचार करना है कि क्या दोनों अपीलकर्ताओं ने गला घोटकर मृतक की हत्या की थी या नहीं?

16. विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं को इंद्रमणि यादव की हत्या का दोषी ठहराया गया: --

(01) विष्णु अ 0 सा 01 ने दोनों अभियुक्त को रात्रि को अपने घर में देखा, बसंत द्वारा नोट दशरथ को देते हुए देखा, विष्णु को देखकर बसंत वापस नोट अपने जेब में रख लिया।

(02) घटना दिनांक के रात्रि 12-12.30 बजे दोनों अभियुक्त को मृत्तिका जिस दुकान में सोई थी के शटर बन्द करते हुए विष्णु अ 0 सा 01 ने देखा है।

(03) विष्णु की पत्नी इन्द्रकुंवर ने भी दोनों अभियुक्तगण को घटना के पूर्व रात्रि में देखा।

(04) घटना पश्चात् रात्रि में ही मनबहाल के पास दोनों अभियुक्तगण दारु मांगने गये।

(05) घटना के पश्चात् से अभियुक्त बसन्त फरार हो गया।

(06) अन्यत्र का अभिवाक को बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं किया।

(07) मेमोरण्डम के आधार पर जमी प्रमाणित।

(08) जप्तशुदा गमछा से गला घोट कर हत्या करने के संभावना ।

(09) पी०एम० रिपोर्ट से मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की प्रमाणित ।

(10) सभी गवाहों ने मृत्तिका के शरीर में लिगेचर मार्क देखे है।

(11) अभियुक्त बसन्त फरार था जिसे ग्राम आंजो पिपरो के गांव वाले घटना के 6-7 दिन बाद पकड़ कर लाये है यह भी बसंत के आचरण को दर्शाता है।



(12) अभियुक्त दशरथ द्वारा कौशल, रामपूरन, विष्णु के समक्ष अपने अपराध कि स्वीकृति की गई है जो कि स्वेच्छा से की गई है।

(13) बसंत यह स्पष्टीकरण देने में असफल हुआ है कि वह कब तथा किन कारणों से ग्राम आंजो पिपरो गया।

(14) प्रकरण में मृतिका कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई का स्पष्टीकरण बसंत ने नहीं दिया।

(15) मृतिका के उपर चरित्र शंका के चलते हत्या करने का आशय प्रमाणित।

(16) घटना के पूर्व चरित्र शंका के चलते मृतिका जली हुई यह तथ्य शव नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 5 पी०एम० रिपोर्ट प्र०पी०06 से प्रमाणित।

(17) मृत्यु की अवधि 12 से 18 घण्टा बताई गई है। घटना दिनांक 12.02.2018 के 12-12.30 बजे दोनों अभियुक्त को शटर बंद कर जाते हुए देखा गया है जो 12 से 15 घण्टे के बीच की अवधि है।

17. उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार पहली शर्त यह है कि उन्हें आखिरी बार एक साथ देखा गया था और विचारण न्यायालय ने पाया कि घटना वाले दिन, लगभग 12:00 - 12:30 बजे, विष्णु यादव (पी डब्लू 1) ने दोनों आरोपियों को उस दुकान का शटर बंद करते देखा जिसमें मृतक इंद्रमणि सो रही थी।

18. विष्णु यादव (पी डब्लू -1) ने बताया कि रात लगभग 12:12:30 बजे, उन्होंने देखा कि दोनों आरोपी दुकान का शटर बंद कर रहे थे। इसे बंद करने के बाद, दोनों दुकान से चले गए। इसके बाद वह घर लौटकर सो गया। उसने आगे बताया कि उसके पिता बसंत यादव और माता इंद्रमणि आपस में झगड़ते रहते थे। घटना से एक साल पहले उसके पिता ने उसकी माता को जला दिया था और तलवार से उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके पिता द्वारा उसकी माता को जलाने के संबंध में पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में जलाने की घटना का जिक्र नहीं था। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। कंडिका 12 में, उन्होंने आगे स्वीकार किया कि, यह कहना सही है कि जब मैं रात के 8.00 बजे सब्जी लेकर आया तो मेरे माता-पिता दोनों अलग-अलग सो रहे थे। यह कहना सही है कि मेरा दुकान और मकान अलग-अलग है दोनों के बीच लगभग 20 मीटर की दूरी है। यह कहना सही है कि दुकान में शटर और उसके अंदर लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। यह कहना सही है कि मकान के बाहर गेट में दरवाजा लगा है। यह कहना सही है कि उक्त दरवाजे को खोले बिना कोई व्यक्ति घर के अंदर नहीं आ सकता। एक बार फिर, उन्होंने स्वीकार किया कि दुकान के पीछे का दीवाल कच्चा था। मैं दीवाल तोड़ने की आवाज नहीं सुना। कंडिका 20 में आगे उन्होंने कहा कि, मैं सुबह 7-8.00 बजे उठा। मेरे पिता और दशरथ ने मिलकर मेरी माँ को मारे है वाली बात एस०डी०ओ०पी० को बताया था। कंडिका 22 में आगे उन्होंने कहा कि, यह कहना सही है कि मैं घटना होते नहीं देखा हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे पिता बसंत मुझे अपने खाते की रकम नहीं देते है इसलिये उनके खिलाफ झूठा कथन दे रहा हूँ।



19. राकेश यादव (पी डब्लू -2), जो आरोपी बसंत यादव का दामाद है, ने बताया कि अपराध करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। सुबह उनके बहनोई विष्णु यादव (पी डब्लू -1) ने उन्हें फोन पर घटना की जानकारी दी।

20. रामपुरन यादव (पी डब्लू -3), जो अभियुक्त बसंत यादव के भाई हैं, ने कहा कि मुझे सुबह मेरा भतीजा विष्णु यादव ने बताया कि मेरी माँ इन्द्रमणी को हमारे दुकान घर में मेरे पिता आरोपी बसंत यादव एवं उसका साथी दशरथ दोनों मिलकर हत्या कर दिये है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस वाले आरोपी बसंत को पकड़े थे तब मेरे सामने उसने पुलिस को बताया था कि जिस गम्छा से इन्द्रमणी का गला घोटकर हत्या किया हूँ उस गम्छे को अपने गला में टागा हूँ उतार कर दे रहा हूँ। मेमोरेण्डम प्र०पी०-1 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त गम्छे को पुलिस वाले मेरे सामने जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्र०पी०-2 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा कि, यह कहना सही है कि घटना की बात विष्णु ने बताया था। यह कहना सही है कि उसी के बताये अनुसार बता रहा हूँ। मैं प्र०पी०-1 में हस्ताक्षर अपने घर में किया था। हस्ताक्षर करते समय विष्णु, मेरा पूरा परिवार, पड़ोसी एवं गावं लोग थे। करीब 15-20 आदमी जुट गये थे। मेरे घर के बाड़ी में बैठे थे। यह कहना सही है कि बाहरी आदमी कोई नहीं था। यह कहना सही है कि उस समय दोनों आरोपीगण नहीं थे, स्वतः कहा कि दोनों भाग गये थे। उन्होंने कहा कि घटना के 13-14 दिन बाद उक्त हस्ताक्षर किया हूँ। पुलिस वाले गम्छा को दिखाये थे, जो कबरी छीटदार था। हरा-सफेद छीटदार था। कंडिका 7 में उन्होंने स्वीकार किया कि, मृत्तिका का क्रिया- क्रम होने के बाद पुलिस बंसन्त को लेकर घर में आये थे। तब पुलिस वाले साफी (गमछा) लेकर दिखाए थे और बताये कि इसी से मृत्तिका की हत्या की गई है। कंडिका 10 में, उन्होंने कहा कि, यह कहना सही है कि दीवाल तोड़ा भी नहीं गया था, स्वतः कहा कि कच्चा दीवाल था कुछ मिट्टी गिरा हुआ था और वहां पर पैर का निशान था।

21. मृतक की बहन श्रीमती तारा (पी डब्लू -5) ने बताया कि आरोपी बसंत ने मृतक को दो-तीन बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका।

22. आरोपी बसंत यादव की बहू गीता उर्फ इंद्रकुंवर (पी डब्लू -7) ने अपने मुख्य परीक्षा के कंडिका 3 में कहा कि घटना हुये लगभग 4-5 माह हो रहा है। हम लोगों का दो मकान है जो पास-पास में है। मैं अपने पति के साथ पुराने मकान में रहती हूँ, हम लोगों के साथ में ही मेरे ससुर बसंत यादव रहते थे तथा नये वाले मकान में मेरी सास इन्द्रमनी अकेले रहती थी वह मेरे ससुर के डर से अकेले दूसरे मकान में रहती थी। घटना रात के करीब 11.00 बजे के आसपास की है। उस समय मैं अपने पुराने मकान में सो रही थी। उस समय मेरे पति विष्णु यादव नये मकान में रखे हुये लोहे के छड़ और अन्य सामाग्री को देखने गये थे, तब मेरे ससुर आरोपी बसंत यादव एवं आरोपी दशरथ मेरी सास इन्द्रमनी का हत्या कर भाग रहे थे। जिसे मेरे पति देखे थे। रात में मेरे पति घर वापस आकर सो गये। उस समय मात्र मुझे यह बताये कि आरोपीगण को नये मकान के पास देखा था।



में सुबह चाय लेकर अपनी सास को देने गयी थी। तो वहा पर मैं अपनी सास को मृत अवस्था में देखी थी।"

23. श्यामबिहारी यादव (पी डब्लू -8) ने बताया कि उनकी उपस्थिति में पुलिस ने अभिरक्षा में लिए गए आरोपी से परीक्षा की। उन्होंने आरोपी बसंत यादव के ज्ञापन बयान (एक्स पी/1) के बी से बी भाग तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। पुलिस ने ज़ब्त ज्ञापन (एक्स पी/2) के माध्यम से उसका गमछा ज़ब्त किया। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने बसंत के घर के सामने स्थित गोदाम से बसंत से गमछा ज़ब्त किया था। कंडिका 7 में, उन्होंने कहा कि, मृतिका का क्रिया- क्रम होने के बाद पुलिस बसन्त को लेकर घर में आये थे। तब पुलिस वाले साफी (गमछा) लेकर दिखाए थे और बताये कि इसी से मृतिका की हत्या की गई है। कंडिका 7 में, उन्होंने कहा कि,, "मुझे घटना की तारीख याद नहीं है। मेमोरण्डम कथन की तारीख मुझे याद नहीं है परन्तु समय दिन के 2.30-3.00 बजे की है। मेमोरण्डम कथन की कार्यवाही के समय सरपंच तथा गांव के 10-15 लोग उपस्थित थे। सरपंच पुरुष लाल था जो 10-15 मिनट रुक चला गया था। बसंत का समधी शिव नाम का व्यक्ति भी उपस्थित था। मृतिका के मायके वाले मृतिका की बहन आदि 4-5 लोग थे। जो चप्पल जूता से फेक कर बसंत को मार रहे थे तथा पुलिस द्वारा पूछताछ भी जारी थी। यह कहना सही है कि हम लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर जूता-चप्पल फेकने वालों से बीच-बचाव किये थे। यह कहना सही है कि काफी हो-हल्ला भी उस समय हो रहा था। यह कहना गलत है कि हम लोग बसंत के रिस्तेदारों को दूर खड़े होकर रोक रहे थे। पुलिस वाले वहां पर कम से कम 1 घंटा रुके थे। इसके बाद लिखा पढी कर हस्ताक्षर करवाकर पुलिस वाले आरोपी को थाना लेकर आये।" कंडिका 9 में उन्होंने कहा कि, यह कहना सही है कि रामपूरन, रामप्रकाश, राजेश मृतिका के रिस्तेदार हैं। यह कहना सही है कि आरोपी दशरथ को वे लोग मारपीट कर रहे थे। वहीं से दशरथ को वे लोग थाने ले गये।"

24. कौशल राम (पी डब्लू-9) ने बताया कि रामप्रकाश, रामपुरन, श्यामबिहारी और अन्य लोग चौक के पास थे। तब दशरथ ने बताया कि उसने और बसंत ने मिलकर इंद्रमणि के गले में गमछा बांधकर उसकी हत्या कर दी। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि अपने पुलिस बयान में उसने कहा था कि बैजनाथपुर चौक के पास आरोपी दशरथ ने बताया था कि उसने और बसंत ने मिलकर इंद्रमणि के गले में गमछा बांधकर उसकी हत्या की थी। यदि उपरोक्त तथ्य उसके पुलिस बयान (प्रदर्शनी डी-5) में नहीं लिखे हैं, तो वह कारण नहीं बता सकता है।

25. मनबहाल (पी डब्लू-10) ने बताया कि रात करीब 9-10 बजे दोनों आरोपी उसके घर आए और उसे आवाज लगाकर जगाया। जब उसने उनकी आवाज सुनी, तो उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने देखा कि आरोपी दरवाजे के पास खड़े थे और शराब के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद, दोनों आरोपी उसके घर से चले गए। अगले दिन, वह काम के सिलसिले में बैजनाथपुर जा रहा था। बाद में, उसे पता चला कि बसंत की पत्नी का निधन हो गया है।



26. सुनीता यादव (पी डब्लू-12), जो मृतक इंद्रमणि और आरोपी बसंत यादव की बेटी हैं, ने बताया कि आरोपी बसंत मृतक से कहता था कि वह उसे जान से मार देगा। उसने पहले भी एक बार उसकी माता को जला दिया था। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षा की, जिसके बाद उसने यह बात स्वीकार की कि उसके पिता को उसकी मां इंद्रमणि पर किसी और के साथ अवैध संबंध होने का संदेह था।

27. मृतक की बहन चंद्रमणि (पी डब्लू -13) ने बताया कि मृतक के पुत्र विष्णु यादव ने उसे इंद्रमणि की मृत्यु की सूचना दी थी। प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि आरोपी/अपीलकर्ता बसंत यादव और उसके बीच हुए झगड़े के कारण इंद्रमणि दुकान में सोती थी।

28. सभी साक्षियों के बयानों की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि मृतक के पुत्र विष्णु यादव (पी डब्लू 1) ने अपने पिता और एक अन्य आरोपी को दोपहर लगभग 12:00 से 12:30 बजे के बीच दुकान का शटर बंद करते देखा था। समस्त साक्षियों ने बताया कि मृतक दुकान में सोता था। मनबहाल (पी डब्लू -10) ने बताया कि दोनों आरोपी रात करीब 9:00-10:00 बजे उनके घर आए और शराब के बारे में पूछा।

29. विष्णु यादव (पी डब्लू -1) ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपने पिता/आरोपी और एक अन्य आरोपी को दुकान का शटर बंद करते देख वह अपने घर गया और सो गया। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनकी माता इंद्रमणि का निधन हो गया है।

30. समस्त साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि दुकान के पीछे की दीवार टूटी हुई थी।

31. अन्वेषण अधिकारी क्लेमेंट टिकी (पी.डब्ल्यू.-14) ने स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपी/अपीलकर्ता दशरथ का ज्ञापन बयान दर्ज नहीं किया और न ही उनसे कुछ जब्त किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब वह आरोपी बसंत से मिला, तो उसने कमीज और पैंट पहनी हुई थी और उसके गले में गमछा बंधा हुआ था। अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 24 में उसने स्वीकार किया कि, यह कहना सही है कि आरोपी बसंत ने गमछा स्वतः पेश किया था। यह कहना सही है कि आरोपी के बयान के आधार पर गमछे की खोज मेरे द्वारा नहीं की गई है। यह कहना सही है कि मेमोरण्डम कथन प्र०पी०-1 में बसंत की निशानदेही पर गमछा बरामद किये जाने का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा गमछा का एफ०एस०एल० जाँच नहीं कराया हूँ।

32. ज्ञापन विवरण (एक्स पी/1) में लिखा है कि, "मैं दिनांक 12/02/18 को रात्रि लगभग 12 बजे अपनी पत्नी इंद्रमणी का दुकान घर सेवारोवा में सोई हुई हालत में चरित्र शंका के कारण अपने गले में टांगे गमछा से गला घोट कर हत्या कर दिया हूँ गमछा को अपने गला में ही टांगा हूँ उतार कर दे रहा हूँ बरामद कर लीजिये।"

33. मृत्यु समीक्षा की सूचना (एक्स पी/ 3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना की तिथि 13.02.2018 है और आरोपी बसंत यादव का ज्ञापन बयान 23.02.2018 को दर्ज किया गया था और इस ज्ञापन बयान के



अनुसार, एक्स पी/ 2 के अनुसार बरामदगी की गई थी और जांच अधिकारी क्लेमेंट टिकी (पी.डब्ल्यू.-14) ने भी स्वीकार किया कि आरोपी ने अपना ज्ञापन बयान दर्ज करते समय अपने गले में गमछा बांधा था।

34. न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में, रत्नु यादव (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 9 और 10 में निम्नानुसार कहा:-

“9. न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान के साक्ष्य मूल्य के संबंध में, इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य, एम.ए.एन.यू/एस सी/0034/2019:2019:आई. एन. एस. सी.:29:(2019) 19 एस सी सी 447 के मामले में, अनुच्छेद 11 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

11. यह सत्य है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान का इस्तेमाल उसके देने वाले के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन सावधानी के तौर पर, न्यायालय के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह अभिलेख में मौजूद अन्य सबूतों के साथ इसकी पुष्टि की जांच करे। गोपाल साह बनाम बिहार राज्य [गोपाल साह बनाम बिहार राज्य, एम. ए. एन. यू./एस. सी./8348/2008:(2008) 17 एस. सी सी 128:(2010) 4 एस. सी सी (सी. आर. आई.) 466] मामले में, इस न्यायालय ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर विचार करते हुए कहा कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति प्रथम दृष्टया एक कमजोर साक्ष्य है और न्यायालय ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला के अभाव में, दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से इस पर भरोसा करने में अनिच्छुक है वर्तमान प्रकरण में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस पर भरोसा करने के लिए अभिलेख में कोई अतिरिक्त ठोस परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराते समय शंभू सिंह (पीडब्लू 3) ने अभियुक्त बाबू लाल द्वारा किए गए गैर-न्यायिक इकबालिया बयान (प्रदर्शित डी-5) का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, इसे प्रमाणित करने वाली कोई अन्य परिस्थितियाँ भी अभिलेख में मौजूद नहीं हैं। (जोर दिया गया) निखिल चंद्र मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एमएनयू/एससी/0211/2023: :आईएनएससी:198 :(2023) 6 एससीसी 605) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के कंडिका 16 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

16. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान कमजोर साक्ष्य होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान के आसपास संदिग्ध परिस्थितियाँ हों, तो उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और उसका महत्व कम हो जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह एक सुस्थापित नियम है कि जहां न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा करने से पहले आमतौर पर एक स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान पर आधारित हो सकती है, लेकिन स्वभावतः यह एक कमजोर साक्ष्य है। (जोर दिया गया)



10. मानवीय आचरण का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसा उस व्यक्ति के समक्ष करेगा जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है। अभियोजन पक्ष का यह तर्क नहीं है कि घटना से पहले अपीलकर्ता की पीडब्लू-1 से किसी निश्चित अवधितक घनिष्ठ जान-पहचान थी। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में साक्षी का बयान पूरी तरह से अलग है। इसलिए, हमारे विचार में पीडब्लू-1 के कथन विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए, न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान के प्रकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

35. उपरोक्त के आलोक में, साक्षियों के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि मृतक के संबंधी आरोपियों की पिटाई कर रहे थे और साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों के न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान बयान दर्ज करते समय थाना अधिकारी और उप-मंडल पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। इस प्रकार का न्यायेतर स्वीकारोक्ति बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और 25 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

36. विचारण न्यायालय ने 17 परिस्थितियों पर भरोसा किया, लेकिन वे सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ संदेह से परे साबित नहीं हुईं। साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल ज्ञापन बयान (एक्स पी/1) और जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/2) ही साबित हुए।

37. अन्वेषण अधिकारी क्लेमेंट टिकी (पी डब्लू-14) ने कहा कि उन्होंने आरोपी बसंत यादव के गमछा को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा था।

38. अपीलकर्ता बसंत यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि वह घटना दिनांक से पहले संबंधी से मिलने गए थे। उसका बेटा उसकी जमीन और संपत्ति को जबरदस्ती अपने नाम करवाना चाहता है, इसलिए उसने उसे झूठे प्रकरण में फंसाया है।

39. विष्णु यादव (पी डब्लू-1) ने भी स्वीकार किया कि उसने घटना वाली रात अपनी मां इंद्रमणि (मृतक) को नहीं जगाया और अपने घर जाकर सो गया।

40. मनबहाल (पी डब्लू-10) ने अभियुक्तों को रात लगभग 9:00-10:00 बजे देखा।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य के मामले में, ए. आई. आर. 2013 एस. सी 3817 में कंडिका 6, 7, 8, 9 और 11 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: --

"6. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, और जो सिद्ध हो सकता है और जो सिद्ध होगा, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। आपराधिक विचारण में, संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है और न ही लिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि 'हो सकता है' और 'निश्चित रूप से होगा' के बीच मानसिक दूरी बहुत अधिक होती है, और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें।" 'संभवतः सत्य' और 'निश्चिततः सत्य' के



बीच की व्यापक दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों के माध्यम से पाटना आवश्यक है, इससे पहले कि किसी आरोपी को दोषी ठहराया जाए, और मूलभूत एवं स्वर्णिम नियम का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, 'संभवतः सत्य' और 'निश्चिततः सत्य' के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को केवल अनुमानों और निष्पक्ष न्यायिक जांच के आधार पर निकाले जाने वाले निश्चित निष्कर्षों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखना चाहिए, जो मामले की सभी विशेषताओं के साथ-साथ प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के पूर्ण और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित हो। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का उल्लंघन न हो, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक उचित संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। (देखें: हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343; सी. बी. आई. बनाम महेंद्र सिंह दहिया, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1017 तथा रमेश हरिजन बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1979 के माध्यम से राज्य)।

7. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1973 एससी 2773 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: अपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के ताने-बाने में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों – एक आरोपी के अपराध की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर – तो आरोपी के पक्ष में अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के अपराध को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है।

8. शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 622 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह सिद्ध हो कि मानवीय संभावना के अनुसार वह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।"

9. एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1963 एससी 200 में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कि यदि किसी मामले में सिद्ध परिस्थितियाँ आरोपी की निर्दोषता या उसके अपराध के अनुरूप हों, तो आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। जब यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई तथ्य सिद्ध हो गया है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा तथ्य आरोपी व्यक्ति के अपराध का निष्कर्ष निकालने की ओर ले जाता है या नहीं, और समस्या के इस पहलू से निपटते समय, संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए, और उसके विरुद्ध अपराध का अंतिम निष्कर्ष तभी निकाला जाना चाहिए जब सिद्ध तथ्य आरोपी की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत हो और उसके अपराध के साथ पूरी तरह से संगत हो।



इसी प्रकार, शरद बिरधीचंद सरदा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: अपराध जितना गंभीर होगा, सबूत का मानक उतना ही उच्च होना चाहिए। संदेह के आधार पर आरोपी दोषी प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह कानूनी सबूत नहीं हो सकता है। जब साक्ष्य के आधार पर दो संभावनाएं हों, एक अभियोजन पक्ष के पक्ष में और दूसरी आरोपी के पक्ष में, तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलना निस्संदेह उचित है। यह सिद्धांत विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब आरोपी का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा हो।

10. XXXX

11. इस न्यायालय ने बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एससीसी 189 मामले में निर्दोषता के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया है तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

27. प्रत्येक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। निर्दोषता की धारणा एक मानवाधिकार है। हालांकि, वैधानिक अपवादों के अधीन रहते हुए, उक्त सिद्धांत अपराधिक न्यायशास्त्र का आधार बनता है। इसके लिए, अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता और उसकी तीव्रता को ध्यान में रखना आवश्यक है। न्यायालयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मात्र अनुमान के आधार पर किसी प्रकार का अन्याय या गलत दोषसिद्धि न हो जाए। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 जैसे कानूनों में यह प्रावधान है कि यदि इन विधि में निर्धारित परिस्थितियाँ पूरी होती हैं तो दोषी होने का अनुमान लगाया जा सकता है और निर्दोषता साबित करने का भार आरोपी पर आ जाता है। हालाँकि, ऐसा अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाएँ। किसी नकारात्मक तथ्य को सिद्ध करने में कठिनाई हो सकती है।

28. हालांकि, जिन मामलों में विधि में अभियुक्त पर साक्ष्य का भार डालने का प्रावधान नहीं है, वहां यह भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे कि ऊपर उल्लिखित विधियों में, साक्ष्य का भार अभियुक्त पर होता है। किसी विशेष विधि के अंतर्गत अभियुक्त के अपराध की अनुमानित धारणा के लिए भी विधिक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित तर्कसंगतता और स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।"

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 902/2023 के कंडिका 18 में निम्नलिखित निर्णय दिया: --

"18. विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य परिस्थिति अपीलकर्ता के ज्ञापन पर खून से सने कपड़ों की बरामदगी से संबंधित है। उक्त कपड़े अपीलकर्ता की साली के घर से बरामद किए गए थे। कथित घटना 21 अक्टूबर, 2009 की है, जबकि बरामदगी 25 अक्टूबर, 2009 को की गई थी। यह मानना कठिन है कि अपराध करने वाला व्यक्ति चार दिनों तक अपनी साली के घर में कपड़े रखेगा।"



43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनबिहारी मोहपात्रा और अन्य के मामले में (2021) 15 एससीसी 265 में कंडिका 36, 38 और 39 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: --

“36. शांति देवी बनाम राजस्थान राज्य मामले में, जिसका उल्लेख(2012) 12 एससीसी 158 में किया गया है, इस न्यायालय ने माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के सिद्धांत इस प्रकार हैं:

10.1 जिन परिस्थितियों से अपराध सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वे ठोस या दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए।

10.2 परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों।

10.3 सभी परिस्थितियाँ मिलकर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से बचा न जा सके कि सभी मानवीय परिस्थितियों में अभियुक्त दोषी है।¹

0.4 दोष सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए, और ऐसा साक्ष्य न केवल आरोपी के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के विपरीत भी होना चाहिए।”

37. XXXX

38. इस न्यायालय के अनेक न्यायिक निर्णयों से यह सर्वविदित है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। किसी भी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। इस सिद्धांत को सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (ए आईआर 2013 एस सी 3817) मामले में दोहराया गया है।

39. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में, ए. आई. आर. 1973 एस. सी 2773 में प्रकाशित मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के ताने-बाने में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो मत संभव हों – एक आरोपी के अपराध की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर – तो आरोपी के पक्ष में जो मत हो, उसे ही अपनाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के अपराध को सिद्ध करना हो।”

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में और रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अंतिम बार देखे जाने का कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि मृतक की मृत्यु से पहले किसी ने भी दोनों आरोपी व्यक्तियों को देखा था। सभी साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि जिस दुकान में मृतक सो रहा था, उसकी दीवार टूटी हुई थी और पैरों के निशान भी थे,



लेकिन जांच अधिकारी क्लेमेंट टिकी (पी.डब्ल्यू.-14) ने मामले की ठीक से जांच नहीं की। आरोपी बसंत यादव का ज्ञापन बयान 23.02.2018 को अर्थात् घटना के 11 दिन बाद दर्ज किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की कड़ी साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, लेकिन निचली अदालत ने सभी गवाहों के बयानों और दस्तावेजों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया।

45. पुलिस ने अपीलकर्ता बसंत यादव का बयान 23.02.2018 को दर्ज किया, यानी घटना के 11 दिन बाद, और राजा नायकर (उपरोक्त) के अनुसार, यह मानना मुश्किल है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कपड़ों को चार दिनों तक अपने घर में रखेगा। अभियोजन पक्ष मृतक इंद्रमणि की हत्या में इस्तेमाल किए गए स्कार्फ के संबंध में एफएसएल (कानूनी रूप से मान्य) साबित करने में भी विफल रहा है। अतः, दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई भी निर्णायक और कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर (उपरोक्त) के कंडिका 19 में कहा है कि केवल रक्त से सने हथियार की बरामदगी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना दायित्व पूरा कर लिया है या मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। यह स्थापित विधि है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।

47. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, अभियोजन पक्ष को प्रत्येक दोषी ठहराने वाली परिस्थिति को पूरी तरह से सिद्ध करना आवश्यक है ताकि इस संभावना को खारिज किया जा सके कि अपीलकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अपराध का अपराधी हो सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है जिससे अपीलकर्ताओं के अपराध के बारे में अकाट्य निष्कर्ष निकाला जा सके और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि केवल अपीलकर्ता ही अपराध के कर्ता हैं। अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय और साक्ष्यों की चर्चा के आलोक में, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

48. परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकृति दी जाती है। दोषसिद्धि और दंड के आदेश को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए उन पर लगे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

49. दोनों अपीलकर्ता जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

50. बी.एन.एस.एस. की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानतदार तुरंत प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दें कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।



51. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय और उस जेल के अधीक्षक को तुरंत भेजी जाए जहां वे बंद हैं और कारावास का दंड काट रहे हैं, ताकि उन्हें सूचना मिल सके और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

